

From: consam.ceo@consammail.com
Sent: 12 October 2025 18:35
To: info@consam.in
Subject: [ref# CIL-CEO-EMM.25.195.01] Amendment/Inclusion at CIL-INC-DOC.23.035.02 > Employee's Remuneration & Scales of Employees [Clause: 07/005/02 and 14/089/01 of CONSAM Constitution]

प्रिय कॉनसमगण,

उपरोक्त विषयक कहना है कि CIL-INC-DOC.23.035.02 > Employee's Remuneration & Scales of Employees [Clause: 07/005/02 and 14/089/01 of CONSAM Constitution] पर निम्नलिखित जगहों पर संशोधन एवं परिवर्तन की गई है:

1. Employee's Remuneration & Scales of Employees [Clause: 07/005/02 of CONSAM Constitution]:

1.1. धारा 2 (1) → Basic/मूल-वेतन: पिछला: नीचे ANX-1 में दिया गया है | संशोधित: जैसा की कॉनसम संविधान में आज दिया गया है.

2. Scales of Employees [Clause: 14/089/01 of CONSAM Constitution]:

2.1. धारा 1 (5) → Clarity on Pay-Scale/वेतनमान की स्पष्टता: पिछला: नीचे ANX-2 में दिया गया है | संशोधित: जैसा की कॉनसम संविधान में आज दिया गया है.

अतः उपरोक्त अप सभी की आवश्यक सूचना हेतु है.

सधन्यवाद!

ANX-1:

2.1. Basic/मूल-वेतन: Basic pay for an Employee is decided by the scale provided to him. Increase/decrease in basic pay shall take place when an Employee's scale is changed/alterd in view of factors in an Employee such as eligibility/experience/qualification/performance/reputation/nature of job etc. and/or factors of CONSAM Organization such as size/nature etc. of the industry and/or extant market pay - scale. And as such revision in basic salary shall be considered from 0 to 5 times during 5 years/एक कर्मचारी का मूल वेतन इन्हें दिए जाने वाले स्केल पर निर्भर करता है. एक कर्मचारी के मूल-वेतन में वृद्धि/कमी तब होगी जब एक कर्मचारी के कारकों जैसे योग्यता/अनुभव/प्रदर्शन/ख्याति/काम की प्रकृति के आलोक में इनके स्केल में परिवर्तन किया जाएगा एवं/या कॉनसम संगठन के कारकों जैसे उद्योग के आकार/प्रकृति में परिवर्तन हो एवं/या मौजूदा बाजार वेतनमान में परिवर्तन हो. अतः मूल-वेतन के संशोधन हेतु 5 सालों में 0 से पांच बार विचार किया जा सकता है.

ANX-2:

1.5. Clarity on Pay-Scale/वेतनमान की स्पष्टता:

- 1.5.1. After 2 years → 120% — 2 वर्ष पूर्ण होने पर → 120%
- 1.5.2. After 4 years → 140% — 4 वर्ष पूर्ण होने पर → 140%
- 1.5.3. After 5 years → 160% — 5 वर्ष पूर्ण होने पर → 160%
- 1.5.4. After 7 years → 180% — 7 वर्ष पूर्ण होने पर → 180%
- 1.5.5. After 10 years → 200% — 10 वर्ष पूर्ण होने पर → 200%
- 1.5.6. Thereafter, with longer service, it will keep increasing (220% 240% etc.) so that employees are financially benefitted in proportion to their service tenure/तत्पश्चात, सेवा की अवधि बढ़ने पर यह क्रमशः बढ़ती जाएगी (220% 240% इत्यादि), ताकि कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलता रहे.